जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

142
2016
P3
1

अपील सूचना अधिकार संख्या 142/2016 अनवानी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्राम्हण वी.पी.ओ. खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर

21–11–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2016 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> (1)– प्रार्थी द्वारा सुगम में प्रकरण संख्या 737 दिनांक 04.04.13 व 1951 दिनांक 27.08.13 व 2197 दिनांक 20.09.13 एवं 2982 दिनांक 20.09.13 व 2982 दि0 20.09.13 व 3001 दिनांक 24.09.13 एवं 2929 दिनांक 18.09.13 व 2633 दिनांक 14.08.13 व 3110 दिनांक 04.10.13 व 1802 दिनांक 09.08.13 व 2115 दिनांक 09.07.13 व 1648 दिनांक 06.06.13
> (2)– विकास अधिकारी पं0स0 रायसिंहनगर पत्र क्रमांक 3843 दिनांक 02.09.13 एवं 3332 दिनांक 31.07.13 प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही की प्रमाणित शुदा नकल।
> प्रार्थना पत्र दस्तावेज सहित शिकायत सुगम प्रकरण निस्तारण एवं मुख्यमन्त्री कार्यालय से प्राप्त प्रार्थना पत्र परिवाद एवं जबाब की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है और न ही कोई उत्तर दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संज्ञान लेकर चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने प्रतिवेदन सं0 1496 दिनांक 07.10.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सुगम पोर्टल पर दर्ज प्रकरणो का पंजियन क्रमांक की सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1478 दिनांक 06.09.2016 के द्वारा प्रार्थी से चाही गई थी जो उसके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है।

प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 राज. सम्पर्क/आरटीआई/14/2016/1478 दिनांक 06.09.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

> आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुगम/राज0 सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के संबंध में सूचना चाही गई है जिसमें बिन्दू सं0 1 सुगम/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल से संबंधित बताया गया है लेकिन आप द्वारा सुगम पोर्टल पर दर्ज शिकायत पंजियन क्रमांक का उल्लेख नही किया गया है जिसके अभाव में कार्यालय के द्वारा सूचना दे पाना संभव नही है। अतः आप सुगम पोर्टल पर दर्ज शिकायत पंजियन क्रमांक संख्या कार्यालय में उपलब्ध करवाएं ताकि आप को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। बिन्दु संख्या 2 इस कार्यालय से संबंधित नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

चूंकि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना चाहने हेतु अपना सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रा0 पत्र दिनांक 20.08.2016 का रजिस्ट्री द्वारा भिजवाया गया है और सूचनांए उपलब्ध न होने पर अपीलार्थी की अपील दिनांक 09.09.2016 आर.टी.आई. सैल में दिनांक 15.09.2016 को प्राप्त हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 में अपील के प्रावधान दिये गये है जो निम्न प्रकार से है:–

> **19. अपील–** (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उप धारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय नही हुआ है या जो, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ पंक्ति का है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 (1) में प्रा0 पत्र प्राप्त होने से 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध करवायेगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणो में से किसी कारण से प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज कर सकेगा।

अपीलार्थी के प्रा0 पत्र दिनांक 20.08.2016 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिवस तक सूचना देने अथवा न देने की अधिकारिता थी और अपीलार्थी को उसके प्रा0 पत्र के निस्तारण पर असन्तुष्टी के कारण निस्तारण दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा है और यदि प्रा0 पत्र पेश की दिनांक से 30 दिवस तक कोई निर्णय नही लिया जाता है तो भी अपीलार्थी को 30 दिवस की उक्त अवधि समाप्ति के पश्चात अपील पेश करने का अधिकार था। अपीलार्थी के प्रा0 पत्र दिनांक 20.08.2016 पर अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 09.09.16 तक लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो ऐसा अपीलपत्र के साथ कोई आदेश शामिल नही किया गया और न ही अपील पत्र में ऐसा कोई निर्णय का अंकन किया गया है। ऐसी दशा में अपीलार्थी को दिनांक 19.09.16 तक अपील पेश करने की कोई अधिकारिता नही थी जबकि उसके द्वारा 09.09.2016 को अपील प्रस्तुत की है जो **अधिनियम में दी गई 30 दिवस की अवधि समाप्ति से पूर्व ही प्रस्तुत की गयी है।** इसलिए **अपीलार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।**

दूसरा, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राज0 सम्पर्क कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर का प्रतिवेदन दिनांक 07.10.2016 प्राप्त हुआ है जिसके साथ पत्र दिनांक 06.09.2016 की प्रति प्रेषित की है जिसमें अपीलार्थी रामचन्द्र को बिन्दु सं0 1 की सूचना के संबंध में सुगम पोर्टल पर दर्ज शिकायत का पंजियन कमांक आदि उपलब्ध करवाने के लिए सूचित किया गया है और बिन्दू सं0 2 का संबंध उनसे न होना बताया है। इस पत्र दिनांक 06.09.2016 को अपीलार्थी द्वारा अपीलपत्र के साथ न तो पेश किया गया है और न ही इसका कोई उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी Clean Hand से नही आया है। **जो व्यक्ति Clean Hand से न्यायालय/अथॉरिटी की समक्ष नही आते है वे किसी प्रकार की राहत पाने के हकदार नही होते है इसलिए भी अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राज0 सम्पर्क, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञानाराम

(ज्ञानाराम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर